REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियां

Dr. Deepak Kumar
Assistant Professor, Ahir College, Rewari (Haryana).

भूमिका :–

स्वतन्त्रता प्राप्ती के कई दशक बीत जाने के बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। कुछ समय पहले ही हुऐ लोकसभा चुनाव में लोकसभा के लिए उम्मीदारों में से केवल 8: महिलाओं को ही टिकट मिल पाया इसी आकड़े ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की बहस को फिर से तेज कर दिया। भारतीय संविधान ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार के बाद भी राजनिती मे उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। विभिन्न क्षेत्रों मे महिलाओं की भागीदारी निम्न प्रकार से है –

1. शिक्षा के क्षेत्र में महिलाऐ :– स्वतन्त्रता प्राप्ती के बाद की अवधि में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 1951 में यह साक्षरता दर 7.9% से बढ़कर सन् 2011 तक 65.46% (लगभग 9 गुणा) तक हो गई। पुरुषों की साक्षरता 2011 में 82 14% थी जो महिलाओं की तुलना में अधिक है। एक अफ्रिकी कहावत है ''यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते है तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं'' लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते है तो आप पूरे देश को शिक्षित करते है। आज वर्तमान में भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएँ चलाकर महिलाओं की उनन्ति एवं विकास में काफी योगदान दिया है। महात्मा गाँधी के अनुसार ''जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते है मैं इसमें यह जोडुंगा कि जब हम नारी को शिक्षित करते है तो न केवल दो परिवारों बल्कि दो पिढ़ियों को शिक्षित करते है।'' सरकार की विभिन्न योजनाओं में – बेटी बचाओं, बेटी–पढ़ाओं, सलामती योजना, साक्षर भारत मिशन, सबला योजना, देवी रुपक योजना, शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक स्तर पर लडकियों की शिक्षा का प्रबन्ध। कार्यक्रम आदि द्वारा महिलाओं की साक्षरता में सुधार की कोशिश की जा रही है हरियाणा जैसे– प्रदेश मे तो इसका बहुत ही लाभ मिला है।

2. कृषि के क्षेत्र में महिलाऐं :– सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रमिकों में 55% खेतीहर मजदूर और 24% महिला कृषक थी हांलाकि परिचालन स्वामित्व का केवल 12.8% महिलाओं के हाथ में था जो कृषि में भूमि स्वामित्व के लिंगानुपात की असमानता को दर्शाता है। सीमांत एवं छोटी जोत श्रेणियों में महिलाओं के परिचालन स्वामित्व का 25% है। महिलाओं के कृषि क्षेत्रों में इतनी भूमिका निभाने के बावजूद उन्हे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने और वित्त तक पहुंच से वंचिंत किया जाता है।

3. राजनीति में महिलाएं – भारत जैसे देश में जहां बेहतर लोकतन्त्र है जहां न केवल महिलाओं को मतदान करने का बल्कि निर्वाचित होने का भी अधिकार है चुनावी प्रतिस्पर्धा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एक स्वस्थ्य लोकतंत्र का प्रभावी संकेतक है हालांकि भारत में महिलाए कुल आबादी का लगभग 48: है। लोकतान्त्रिक संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में

होने की उम्मीद की जाती है पहली लोकसभा सन् 1952 में जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.4% था वहीं 2014 में यह बढ़कर लगभग 12% हो गया। जहां सन् 2014 के चुनाव में केवल 62% महिलाऐं ही लोकसभा में पहुंची थी वहीं सन् 2019 में 78 महिलाऐं चुनाव में पहुची। विश्व में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 23% ही है भारत के सन्दर्भ में जहां तक अन्य ऐशियाई देशों की बात करे तो भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल यहां तक साऊदी अरब में भी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत से बेहतर है।

4. सेना में महिलाऐं –

भारत एक ऐसा देश है जहां झांसी की रानी, रजिया सुलतान, बेगम हजरत महल आदि वीर महिलाओं का समद्ध इतिहास रहा है। बहुत समय से सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका डाक्टर एवं नर्सो तक ही सीमित थी हालांकी 19 वीं सदी में कानून, इंजीनियरिंग, पाइलेट, एयर हॉस्टेज, आई.पी.एस., आई.ए.एस., मुख्यमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। सन् 2014 में भारतीय वायुसेना में 8.5% महिलाऐं थी जबकि भारतीय नौ सेना और भारतीय सेना में 2.8 से 3% महिलाए थी जबकि 2018 में यह बढ़कर 13% वायु सेना में व 6% नौसेना में तथा भारतीय सेना 3.8% हो गया। सेना में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम शारिरीक बल वाला माना जाता है इसलिए शास्त्र बलों में शामिल होने के लिए उन्हें अनुक चुनोतियों का भी सामना करना पड़ता है।

5. न्यायपालिका में महिलाऐं :–

सन् 1989 में जस्टिस एम. फातिमा बीवी को भारत की सर्वाच्च न्यायालय मे पहली महिला न्यायधीश होने का गोरव प्राप्त हुआ। उच्च न्यायलयों में सरकारी आकड़ों के अनुसार 12% महिलाऐं न्यायधीश हुई है। अभी तक सुप्रीम कोट (सर्वोच्य न्यायालय) में केवल 7 महिला ही मुख्यन्यायधीश बन पाई है। अगर राज्यों के हिसाब से देखे तो उत्तराखण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, झारखण्ड, छतीसगढ़, हिमाचल एवं जम्मु कश्मीर में एक भी महिला न्यायधीश नहीं है। अदालतों में निर्णय प्रक्रिया में महिला के होने से लैगिंग मुद्दों विशेष रुप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा सम्बंधित अपराध को महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक दृष्टिकोण से देखा जाता है वर्तमान में रेप, जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में महिलान्यायधीश एक कड़ा कदम उठा सकती है।

6. उद्धमशीलता में महिलाऐ :–

महिलाओं को अच्छी नौकरी प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को देखते हुऐ कार्यबल में भागीदारी के लिए उधमशीलता एक वैकल्पिक क्षेत्र प्रदान करती है हालांकी भारत में यह सूचकांक ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। महिलाओं को आजीविका के साधन में आगे बढने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 3 से 12% तक है हांलाकि सेवा क्षेत्र में 27% से 40% की भागीदारी ने बेहतर प्रतिनिधित्व किया है। ये भी एक सत्य है कि अधिकांश महिलाऐं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान तो देती है लेकिन उनका ज्यादातर काम अधिकारीक आकड़ों में दर्ज नहीं हो पाता। महिलाएं खेतों में काम करती हैं, फसल काटती हैं, घरेलु काम करती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य जैसे बच्चों की देखभाल करना, पानी लाना, खाना पकाना आदि कार्यो की कोई गिनती नहीं होती है। महिलाओं के सांस्कृतिक बंधनों में बदलाव हो रहा है बावजूद इसके कि वे अभी भी पुरुषों की तरह स्वतंत्र नहीं है। आकड़ों में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी निराशाजनक है।

महिलाओं की भागीदारी में चुनोतियाँ :–

1. अधिक गरीबी एवं शिक्षा में कमी :–

समाज में किसी भी लडकी के शीघ्र विवाह के कारण उसे शिक्षित करना धन की बर्बादी माना जाता था। क्योंकि वे भविष्य में आय/पैसा कमाने वाली नहीं थी इसलिए उनके अध्ययन की अनुमती नहीं थी। स्कूल

में न जाने के कारण उनमें कौश्ल क्षमता का विकास नहीं हो पाता तथा उन्हें गरीबी में ही जीना पडता था बाद में अधिक गरीबी व शिक्षा की कमी समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का प्रमुख कारण बन गई।

2. सामाजिक कारक :–

इसका मूल कारण पितृसत्तामक मानसिकता में निहित है इस मानसिकता में महिलाओं को पुरुषों के आधीन रखा गया है। लडकियों की तुलना में लडकों को अधिक महत्व देना भी एक पूर्वाग्रह अभी भी बना हुआ है। अधिकांश पूर्वाग्रह अभी भी है जैसे महिलाऐं/लडकी छोटी हों तो पिता की निगरानी में होनी चाहिए, जब वे विवाहित हो तो उन्हें अपने पति की निगरानी में होनी चाहिए जब वे विवाहित से वृद्धा अथवा विधवा के रुप में हो तो बेटे की निगरानी में होनी चाहिए यानि उसे किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता की अनुमती नहीं दी जाती।

3. विलंबित कानूनी मान्यता :–

महिलाओं की रक्षा और पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गऐ है घरेलु हिंसा अधिनियम द्वारा महिलाओं का संरक्षण, दहेज अधिनियम, वंशानुगत अधिकार अधिनियम, पंचायत चुनाव आरक्षण अधिनियम आदि। भारत में महिलाओं के पिछडेपन से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न रही। नैतिक रुप से कमजोर व राजनैतिक कमजोरी वाले देशों में महिलाओं के पिछडेपन की निराशाजन स्थिति के पीछे एक जिम्मेदार कारक के रुप में देखा गया है।

4. लिंग हिंसा :–

यह सब हिंसाओं की जड़ है समाज में पनप रही अनेक प्रकार की असमानताऐं लिंग हिंसा पर टिकी हुई है। पुरुषों का आमदनी पर पुर्ण नियन्त्रण, पुरुषों का यहीं व्यवहार महिलाओं के विरुध हथियार का काम करता है। अधिकाशतः यह देखा गया है कि महिलाओं के विरुध हिंसा अकसर वे पुरुष करते है जो भावनात्मक रुप से असुरक्षित होते है अपनी क्षमताओं से कुठीत या हताश होते है। अच्छे या बुरे बर्ताव की समझ नहीं होती, जो नियम या कानून की परवाह नहीं करते। देश का संविधान गारंटी देता है सबको समान अधिकारो व भेदभाव रहित समाज का किन्तु असलियत में समाज के अलिखित कानून महिला की जिन्दगी के हर पहलु का निर्धारण कर रहे है।

निष्कर्ष :–

किसी भी कानून को तब तक प्रभावी ढंग से लागु नहीं किया जा सकता जब तक की सामाजिक मानसिकता को बदला नहीं जाता। महिलाओं के प्रति सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए उचित जागरुकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान की आवश्यकता है। स्वामिविवेकानन्द के अनुसार ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असम्भव है एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असम्भव है।'' वैश्विकरण के युग मे महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। पितृसत्तात्मक रुढ़ियों को कमजोर किया जाना चाहिए। राष्ट्र के नीति और कानून निर्माताओं की महसूस करना चाहिए कि न्यायपालिका, सशस्त्र बलों, राजनीति आदि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही आवश्यक है ताकी महिलाऐं अनेक क्षेत्रों के लिए एक मिशाल कायम कर सकें। सरकार की पहल लड़कियों को शिक्षित करने और विकास की स्थिति के अवसरों को हासिल करने में उनकी कुश्ल बनाने को दिशा में उन्मुख होने चाहिए। केवल हस्तकक्षेप पर्याप्त नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति(2017) – महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय।
2. लिंग असमानता सूचकांक – सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
3. नेलस्को सोभना(2010) – भारत में महिलाओं का स्थिति, नई दिल्ली, दीप प्रकाशन।
4. ए.बी. लुडेन, डेविड(2013) – भारत और दक्षिण ऐशिया एक लघु इतिहास, ऑनवर्ल्ड प्रकाशन।
5. ब्यूरो जी मिड़िया(2018)।
6. स्पेरी कैराल(2019) लिंग, विकास भारत के राज्य।

Dr. Deepak Kumar
Assistant Professor, Ahir College, Rewari (Haryana).